न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी अपर्णा गुप्ता, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 39 / 20 प्रार्थना पत्र

1. श्री मेरा पिता नाना, जाति डांगी, निवासी भैसडा खुर्द, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री चेना पिता नाना, जाति डांगी, निवासी भैसडा खुर्द, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मोटा पिता नाना डांगी, उम्र वयस्क,
2. श्रीमती रम्भा पत्नी नारायण लाल डांगी, उम्र वयस्क,
3. श्री भगवान लाल पिता हरजी डांगी,
4. श्री रूपलाल पिता हरजी डांगी, उम्र वयस्क,
5. श्री उदयलाल पिता श्री हरजी डांगी, उम्र वयस्क,
6. नारी बाई पुत्री हरजी डांगी, उम्र वयस्क,
7. श्री शिवराम पिता वाला जी डांगी, उम्र वयस्क,
8. श्री खेमराज पिता श्री छगा जी डांगी, उम्र वयस्क
9. श्री दलाराम पिता श्री छगा जी डांगी, उम्र वयस्क
10. श्री धर्मराज पिता श्री छगा जी डांगी, उम्र वयस्क
11. वदरी पुत्री श्री छगा जी डांगी, उम्र वयस्क
12. रूपी पुत्री श्री छगा जी डांगी, उम्र वयस्क
13. रोडी पत्नी श्री छगा जी डांगी, उम्र वयस्क

सर्वनिवासियान– गांव भैसड़ाखुर्द, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी.

नीता जैन अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Aparna Gupta
Date: 2022.01.03 11:06:05 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक 03.01.2022

प्रकरण में प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जादी का प्रस्तुत करते हुए अंकित किया कि राजस्व ग्राम भैसडाखुर्द पटवार मण्डल भैसड़ाखुर्द तहसील गिर्वा जिला उदयपुर में खाता सख्या 190 के आराजी संख्या 74, 1357, 1453, 1480, 1481, 1521, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1695, 1791, 1792, 1793,

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

1839, 1840, 1909 किता 21 रकबा 4.6400 हेक्टयर, खाता सख्या 191 आराजी सख्या 624, 637, 1529, 1692, 1693, 1801, 1827 किता 7 रकबा 0.5900 हेक्टेयर, खाता सख्या 187 आराजी सख्या 1523 रकबा 0.1600 हेक्टेयर, खाता सख्या 188 आराजी सख्या 1838 रकबा 0.2200 हेक्टेयर व खाता सख्या 189 आराजी सख्या 897 रकबा 0.2200 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण एव विपक्षीगण के सयुक्त खातेदारी की होकर उनके स्वामित्व एव आधिपत्य मे है। उपरोक्त वर्णित कुलिया आराजीयात भूमि प्रार्थीगण को जरिये विरासत प्राप्त हुई है, प्रार्थीगण एव विपक्षी सख्या 1 तीनों मृतक नानाजी आगी के पुत्र है। विपक्षी सख्या एक ने अपनी खातेदारी भूमि में से कुछ भूमि अन्य लोगो को बेच दी, कुछ दिन पूर्व विपक्षी संख्या दो व सात मौके पर आए तथा कहने लगे कि इस जमीन में से विपक्षी सख्या एक का हिस्सा खरीदा है तथा वो उनकी मनमानी वाले स्थान पर दादागिरी से कब्जा करेंगे, साथ ही धमकी देकर गए कि अगर मौके पर कुछ झगडा किया तो वो उन्हें जान से मार देगें। विपक्षी सख्या एक से सम्पर्क किया तो उसने कहा कि उसे भी पता नहीं उसने कब जमीन बेची है। विपक्षी संख्या दो व सात जिसके पुत्र बलशाली एवं प्रभावी व्यक्ति हैं वे अपनी जान–पहचान के दम पर जबरदस्ती प्रार्थीगण के साथ लडाई–झगडा करते हैं तथा वादग्रस्त भूमि का बंटवारा अपनी मन मर्जी अनुसार कराये के लिए वाद–विवाद करते है। भूमि के प्रत्येक हिस्से पर प्रार्थी एव विपक्षीगण संख्या 2 व 7 के अलावा सभी अपने अंश अनुसार काबिज है। वाद कारण दिनांक 27.06.2021 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 2 का पति वादग्रस्त आराजी भूमि में से मुख्य सड़क स्थित आराजी भूमि पर जबरन दादगिरी पूर्वक बाड़ करने के लिहाज से खडडे खोदने लगा तथा दिनांक 29.06.2020 को उत्पन्न हुआ।

अतः विपक्षीगण संख्या 1,2 व 7 को जरिये अस्थायी निषेद्याज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ताफैसला मुकमदा वाद वर्णित आराजियात विपक्षीगण किसी को रहन, बैह, बक्षीस, अन्तरित नहीं करे, न अन्य किसी भी प्रकार से अन्तरण नहीं करें, न प्रार्थी को उसके हक व हिस्से की भूमि से बेदखल करने की कोशिश करे न ऐसा कृत्य अपने किसी एजेन्ट नौकरी आदी से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रकरण विपक्षीगण संख्या 6,11,12 की [illegible] में है। प्रकरण में दिनांक 24.11.2020 को प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या [illegible] प्रकरण में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारों के मध्य आपसी समझौता हो रहा है अतः हस्तगत प्रकरण में जारी स्थगन आदेश को बढाना नहीं चाहते है। जिस पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी स्थगन आदेश निरस्त किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Aparna Gupt
Date: 2022.01.03 11:06:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

प्रकरण में दिनांक 10.08.2021 को प्रार्थी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर किया कि पक्षकारों में आपसी राजीनामा हो रहा है।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया प्रार्थीगण द्वारा पुर्व में जारी स्थगन निरस्त करवाकर आपसी राजीनामा होने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण आराजीयात में आगे अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं चाहते है।

पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा होने एवं स्थगन नहीं चाहने से इस प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का फैसलशुमार नम्बर से कम हो।

(अपर्णा गुप्ता)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aparna Gupta
Date: 2022.01.03 11:06:05 IST
Reason: SelfAttested